संख्या–मा0स0 65 /43–2–2011

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2** लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी , 2012

**विषयः–** सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने के संबंध में सिविल अपील सं0 6454/2011 के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या के आलोक में भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 1/18/2011 आई.आर, दिनांक 16–9–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों हेतु **मार्गदर्शिका संख्या–मा0स0 16/43–2–2008, दिनांक 14 जुलाई, 2008** जारी की गयी थी जिसके पैरा–8 में यह उल्लिखित है कि अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना, या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

2– भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/18/2011 आई.आर दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिया गया हैः–

''सूचना का अधिकार अधिनियम के विषय में कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक है। सूचना का अधिकार अधिनियम में सभी सूचना जो उपलब्ध और विद्यमान है तक पहुँच का प्रावधान है। यह अधिनियम की **धारा–2 के खण्ड (च)और (ज) के अंतर्गत 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं और धारा–3** के सम्मिलित पठन से स्पष्ट है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा, अथवा सारों, अथवा आंकडों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत प्रदत्त विमुक्ति के अधीन पहुँच बना सकता है, किन्तु जहॉ सूचना किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेख का कोई भाग नहीं है, और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण से किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बनाए रखी जानी अपेक्षित नहीं है, अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात किसी आवेदक को इसे उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी लोक प्राधिकरण से निष्कर्षो को निकालने और/अथवा अनुमान किये जाने की या, 'मत' दिए

जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को किसी 'मत' अथवा 'सलाह' को प्राप्त करने और दिए जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा–2 (च) में 'सूचना' की परिभाषा में 'मत' अथवा 'सलाह' का संदर्भ, मात्र लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसे मसौदे से संदर्भित है। अनेक लोक प्राधिकरण, एक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में, नागरिकों को सलाह, मार्गदर्शन और मत उपलब्ध करवाते हैं। किन्तु यह पूर्णतः स्वैच्छिक है और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी बाध्यता के साथ इसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।''

कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त, लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त विभागाध्यक्ष,उ0प्र0।
2– समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
3– समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4– संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम चन्द्र यादव)
अनु सचिव।